न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/21/2023	2023/317	01.06.2023	10.06.2024

1. रसीद खां पुत्र जुहर खां, जाति मेव हाल निवासी ग्राम कैमासा, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर राज0।
2. खुर्शीद पुत्र जुहर खां, जाति मेव हाल निवासी ग्राम कैमासा, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार गोवन्दिगढ, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर राज0।
2. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, रामबास, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर (राज0)।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार गोविन्दगढ़, दिनांक 09.07.2015 इन्तकाल संख्या 1232 जो इन्तकाल बिना अपीलान्टान को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना ही बाला बाला तस्दीक किया है, बमुराद मंसूखी उक्त इन्तकाल व स्वीकार किए जाने अपील अपीलान्ट व अन्य दीगर दादरसी।

उपस्थितः—

01. श्री, संतोष कुमार बंसल — वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट 01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार गोविन्दगढ़ दिनांक 09.07.2015 इन्तकाल संख्या 1232 जो इन्तकाल बिना अपीलान्टान को सुनवाई हेतु नोटिस दिये ही बाला बाला तस्दीक/स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि हाल आराजी खसरा नंबर 634 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 661 रकबा 2 बीघा 2 बिस्या, 663 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 582 रकचा 13 बिस्वा, 583 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 584 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 643 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 662 रकबा 1 श्रीधा 5 बिस्वा, 694 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कैमासा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 में स्थित आराजी है। ऊपर वर्णित आराजीयात के अपीलाण्टान रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

जिनके पास आजीविका का एकमात्र साधन कृषि भूमि होने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आराजी मुतनाजा के विकास व दीगर घरेलू आवश्यकता के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेण्ट सं0 2 से सम्पर्क किया गया जिनके द्वारा बताए गए दस्तावेजात रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कार्यालय से प्राप्त कर नियमानुसार कृषि ऋण पत्रावली तैयार करवा कर रेस्पोडेण्ट सं0 2 के पास जमा करवाई गई, जिनके द्वारा अपीलाण्टान की आराजी पर कृषि ऋण स्वीकार करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 1 से राजस्व रिकॉर्ड में रेसपोडेण्ट सं0 2 के रहन के नाम का अंकन कर दिया गया जबकि आराजी मुतनाजा पर आज तक अपीलाण्टान निरन्तर काबिज होकर कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे है।

अपीलाण्टान की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण अपीलाण्टान रेस्पोडेण्ट सं0 2 से प्राप्त की गई ऋण राशि को जमा नहीं करवा सके। जिस कारण रेसपोडेण्ट सं0 2 द्वारा आराजी मुतनाजा को जरिये इंतकाल सं0 1232 दिनांक 09.07.2015 को अपने नाम रेस्पोडेण्ट सं0 1 के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में करा लिया गया। जिस कार्यवाही की वावत मिन अपीलाण्टान को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई। मिन अपीलाण्टान द्वारा अपनी आराजी मुतनाजा में अधिक जिश्मानी मेहनत करने एवं दीगर जगह मजदूरी कार्य पाया जाकर रेस्पोडेण्ट सं0 2 से प्राप्त धन कमाय करने के कारण धन किए गए कृषि ऋण को जमा कराए जाने हेतु सम्पर्क किया गया तो रेस्पोडेण्ट सं0 2 द्वारा अपीलाण्टान को रेस्पोडेण्ट सं0 2 के यहां पर चली आ रही एकमुश्त समझौता योजना की बाबत अवगत कराते हुए अपीलाण्टान से कृषि ऋण व टेक्ट्रर पर प्राप्त किए गए सम्पूर्ण ऋण राशि को दिनांक 22.03.2021 को जमा कर अपीलाण्टान के पक्ष में एक अदेय पत्र दिनांक 24.11.2021 को जारी कर दिया गया जिस पत्र को अपीलाण्टान द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 के कार्यालय में दे दिया गया, उसके बावजूद भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा ऊपर वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे से रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम के अंकन को नही हटाया गया। जिसके पश्चात अपीलाण्टान द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 से पुनः निवेदन किए जाने पर अपीलाण्ट सं0 2 द्वारा पुनः एक पत्र दिनांक 24.02.2022 को रेस्पोडेण्ट सं0 1 जो कि उस समय उप पंजीयक, गोविन्दगढ का कार्य भी देख रहे थे, के नाम जारी कर ऊपर वर्णित आराजीयात से बैंक प्रभार हटाने का निवेदन किया गया किन्तु उसके पश्चात भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा अपीलाण्टान की आराजीयात मे से बैंक के नाम का अंकन नहीं हटाया गया।

अपीलाण्टान द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को माननीय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष पेश कर ऊपर वर्णित आराजी मुतनाजा में से बैंक का प्रभार हटाने का निवेदन किया गया जिनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पास भेज दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी आराजी सुतनाजा में से बैंक रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम के अंकन को नहीं हटाया गया जबकि कई मर्तबा अपीलाण्टान रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पास जाकर रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम के प्रभार को हटाने का निवेदन कर चुके है। इसके पश्चात मिन अपीलाण्टान द्वारा काफी तंग च परेशान होने के बाद एक प्रार्थना पत्र माननीय जिला कलेक्टर महोदय, अलवर के समक्ष दिनांक 14.03.2023 को पेश कर ऊपर वर्णित समस्याओं से अवगत कराया गया। जिसके पश्चात भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा आज तक मिन अपीलाण्टान की आराजी मुतनाजा में से रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम का अंकन नहीं हटाया गया। जिस कारण मजबूरन उक्त अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ। अपीलाण्टान द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 से प्राप्त की गई ऋण राशि को मय ब्याज के चुकता किए जाने के पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रेस्पोडेण्ट सं0 2 द्वारा जारी किए गए अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 24.11.2021 के पश्चात रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा अविलम्ब ही ऊपर वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे से रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम का अंकन/प्रभार को हटाकर मिन अपीलाण्टान के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना चाहिए था किन्तु रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा मनमाने रूप से राजस्व रिकॉर्ड में से रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम का अंकन नहीं हटाया गया है। जिस कारण रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा तस्दीक इन्तकाल मंसूख किए जाने योग्य है।

मिन अपीलाण्टयन द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 से प्राप्त की नाई सम्पूर्ण ऋण राशि को मय ब्याज जमा करवाया जा चुका है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 2 द्वारा भी जिस हेतु अदेय प्रमाण पत्र व पत्र भी रेस्पोडेण्ट सं0 1 को लिखे जा चुके है। उसके वावजूद भी रेस्पीडेण्ट सं0 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम के अंकन को हटाया जाकर मिन अपीलाण्टान के नाम का अंकन नहीं किए जाने के कारण भू राजस्व अधिनियम व भू राजस्व नियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा रेस्पाडेण्ट सं0 2 के पक्ष में तस्दीक किए गए इन्तकाल सं0 1232 दिनांक 09.07.2015 की जानकारी मिन अपीलाण्टान को दिनांक 14.03.2023 से पूर्व नही थी। उक्त इन्तकाल की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 14.03.2023 को उस वक्त हुई, जब हलका पटवारी द्वारा अवगत कराया कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम उक्त आराजी इन्तकाल संख्या 1232 के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। जिस पर तहसील गोविन्दगढ में इन्तकाल का अवलोकन करने के पश्चात अलवर आकर अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष पेश किया गया तथा अधिवक्ता की सलाह अनुसार उक्त इन्तकाल की नकल निकलवा कर लेकर आकर उक्त इन्तकाल की अपील अविलम्ब जानकारी की तिथि 14.03.2023 से अंदर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 09.07.2015 से जानकारी दिनांक 14.03.2023 से पूर्व का जो समय व्यतीत हुआ है, वह लाईल्मी में व्यतीत होने के कारण माफ किए जाने योग्य है जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी अहलदा से प्रस्तुत किया जा रहा है जिस कारण उक्त अपील को अंदर अवधि स्वीकार फरमाया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्याय संगत है।

अपीलाधीन इन्तकाल तहसीलदार, गोविन्दगढ द्वारा तस्दीक किया गया है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने के कारण उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्टान प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 1232 दिनांक 09.07.2015 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलण्टान के नाम का अंकन ऊपर वर्णित आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बाबजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे ही बहस करना चाहता है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा विधिवत आदेश हुआ, आदेश की पालना में तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा नामान्तकरण जारी किया गया है। नामान्तकरण जारी करने में विधिक प्रक्रिया की कोई भूल नहीं है। तहसीलदार द्वारा जारी इंतकाल सख्यां 1232 दिनांक 09.07.2015 विधिवत है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। पक्षकार न्यायालय आदेश के क्रम में सक्षम न्यायालय में चाराजोरी कर सकता है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० * प्रशासन (द्वितीय) अलवर *
राजस्थान सरकार